

मायिक माजरा निष्ठ बाण

दिनांक 22.09.17

परिवादी अजय खुरासिया सहित अधिवक्ता श्री ओ०पी० शर्मा द्वारा उपस्थित होकर एक शीघ्र सुनवाई आवेदन पत्र राजीनामा बावत् प्रस्तुत किया। प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

अभियुक्त बहादुरसिंह सहित अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम एवं श्री बी०आर० चौरसिया उप०।

अभियुक्त के गिरा वारंट का आदेश है। अतः उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

उमयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, परिवादी के छायाचित्र युक्त राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 एन०आई० एक्ट प्रस्तुत किया गया। परिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री ओ०पी० शर्मा एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम द्वारा की गयी।

उमयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

परिवादी ने राजीनामा आवेदन के माध्यम से निवेदन किया है कि उसने अभियुक्त के साथ चैक 15 हजार रुपये के संबंध में राजीनामा कर लिया है और उक्त राशि परिवादी ने प्राप्त कर ली है। इस कारण से राजीनामा करना चाहते हैं। अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दबाव, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

22/9/17  
446/17  
446/17

अजय खुरासिया  
Bhramyug  
9/10/17  
Bhramyug



## Order Sheet [Contd]

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleadings where necessary
	<p>अभियुक्त पर धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि न्यायालय की अनुमति से शमनीय हैं।</p> <p>न्यायदृष्टांत <b>दामोदर एस प्रभु विरुद्ध सैयद बाबा सात एआईआर 2010 एन.सी. 1907</b> तीन न्याय मूर्ति गण की पीठ के मामले में समझौते पर निम्नानुसार परिचय लगाने के निर्देश दिये हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>यदि अभियुक्त प्रकरण का सूचना पत्र मिलने के बाद पहली या दूसरी सुनवाई पर समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तब उस पर कोई परिचय नहीं लगाया जायेगा।</li> <li>यदि अभियुक्त पहली या दूसरी सुनवाई तिथि के बाद विचारण न्यायालय में समझौता आवेदन लगाता है तो उस पर चैक की राशि का दस प्रतिशत परिचय लगाया जा सकेगा।</li> </ol> <p>उक्त परिचय जिस स्तर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाना होता है। लेकिन न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कारण लिखते हुए उक्त परिचय कम कर सकती है।</p> <p>उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में इस प्रकरण को देखने से यह दर्शित है कि प्रकरण दिनांक 31.08.13 को पंजीबद्ध हुआ जिसमें अभियुक्त उपस्थित हो गया। उसकी उपस्थिति में साक्ष्य ली गयी। परिवादी की शेष साक्ष्य के पूर्व पुनः अभियुक्त अनुपस्थित हो गया। प्रकरण में उक्त राशि 15 हजार रुपये के संबंध में परिवादी लगभग 4 वर्ष से उक्त राशि के उपयोग व उपभोग से वंचित रहा है। ऐसी दशा में चैक राशि के दस प्रतिशत परिचय के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए तो राजीनामा स्वीकार किया जावे।</p> <p>परिवादी ने बिना किसी भय, दबाव, लोभ लालच के स्वेच्छा राजीनामा किया जाना बताया है। परिवादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमति देने में समर्थ दर्शित है।</p> <p>अभियुक्त के द्वारा जमानत की शर्तों का भंग किए जाने से प्रकरण के निराकरण को देखते हुए 400 रुपये मुचलका जब्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उक्त राशि जमा करने के उपरांत प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।</p>	<p>Case No. 607/1520</p> <p>Signature of Parties or Pleadings where necessary</p> <p>15000 रुपये जमा 30-8-86</p>

Judicial Magistrate First Class  
Gorakhpur distt. B.N.H. (M.P.)



e of  
er or  
eding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature  
Part  
Pleaders  
necess

न्यायालय

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत्।

अभियुक्त के द्वारा रसीद क्रमांक 04 बुक क्रमांक 6886 पर 1500 रुपये जमा कर रसीद प्रस्तुत की।

धारा 147 एन0आई0 एक्ट के अधीन राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। अतः बाद तस्दीक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त बहादुरसिंह पुत्र परमानंदसिंह को चैक क्र0 285985 दिनांक 01.03.2013 राशि 15 हजार रुपये के संबंध में धारा 138 एन0आई0 एक्ट के आरोप से राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त के द्वारा रसीद क्र0 66 बुक क्र0 6905 पर मुचलका जब्ती राशि चार सौ रुपये जमा की।

अभियुक्त को मुक्त किया जावे।  
आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohat Dist. Bhind. M.P.

अनिल कुमार  
Bhambhaniya  
24/3/2013  
2013